



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:- एफ-६ () आ.रज. (सा.प्र.)/ननिज/2015/ ३९३

दिनांक:- २१।।। २०१५

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), पुलियाओं/आर.ओ.बी. फलावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, द्राईरेंग्यूलर साईनेज, कियोस्क बोर्ड (विजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित बसशैल्ट्स, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनिपोल २०'X१०' व सूची में अकित चिह्नित रथानों पर संवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व निर्मित विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संधारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 106 के बाहर की जायेगी।

नीलामी दिनांक 23.02.2015 से 26.02.2015 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5.00 बजे तक की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1.	यूनिपोल- मोती दुंगरी जोन, रिवेल लाइन जोन, विद्यावर नगर जोन,	23.02.2015	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व 30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
2.	यूनिपोल-मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूरी),	24.02.2015	
3.	कियोस्क (विजली के खंभों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड), मोतीदुंगरी जोन, विद्यावर नगर जोन, हवामहल (पूरी) जोन, पुलियाओं/आर.ओ.बी. फलावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण एवं निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री).	25.02.2015	रुपये 15,000/- प्रति जोन एवं पुलियाओं/आर.ओ.बी. फलावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.), प्रति ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु.
5.	बसशैल्ट्स, द्राईरेंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण एवं 25 निर्मित यूनिपोल 20X10 वर्गफुट एवं उपरोक्त में से शेष बची विज्ञापन साईटें	26.02.2015	रुपये 20,000/- प्रति बसशैल्ट्स, द्राईरेंग्यूलर साईनेज प्रति (रोड आईलैण्ड पर) के 5,000/- रु. (पाँच हजार रु.), रुपये 15,000/- प्रति सुलभ शौचालय, रुपये 20,000/- प्रति निर्मित यूनिपोल साईट 20'X10 एवं शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार

नीलामी की प्रमुख शर्तें :-

- उपरोक्त यूनिपोल, द्राईरेंग्यूलर साईनेज (रोड आईलैण्ड पर), निर्मित ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री), ओवरब्रिजों पुलियाओं/आर.ओ.बी. फलावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन एवं संधारण, निर्मित बसशैल्ट्स, कियोस्क बोर्ड (विजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित यूनिपोल 20'X10' विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जायेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटें हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त मीके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स), निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर SW-205 में कार्यादिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट पर निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (कियोस्क) लगाने के लाईसेन्स की जोन बार नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञाप्ति के अनुसार की जावेगी।

1. लाइसेन्स की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेन्सधारी द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. क्षेत्र :- कियोस्क की नीलामी निगम के तीन जोनों के लिए पृथक-पृथक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन कियोस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अवलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन कियोस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जोनों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

हवामहल जोन (पूर्व):-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए शेष परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से दिल्ली बाईपास, पुरानी चूँगी तिराहे तक एवं इसके अतिरिक्त जोन का बचा हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

विद्याधर नगर जोन:-

चांदपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नाका सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र चांदपोल गेट बाहर से स्टेशन रोड को शामिल करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ोदिया बस्सी झोटवाडा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटवाडा सीकर रोड, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, अम्बाबाड़ी क्षेत्र शामिल है।

मोतीझुंगरी जोन:-

अजमेरी गेट से पूर्व की ओर एम. आई. रोड शामिल करते हुये आगरा रोड घाटगेट तक व इसके दक्षिण का भाग / घाटगेट से पूर्व की ओर आगरा रोड छोड़ते हुए इसका दक्षिण का भाग, इसमें गोविन्द मार्ग मोतीझुंगरी रोड, जवाहर नगर जनता कॉलोनी आदर्श नगर तिलक नगर आदि क्षेत्र शामिल हैं, अजमेरी गेट से दक्षिण की ओर टोक रोड टोक पुलिया शामिल एवं पूर्व का भाग शामिल है टोक पुलिया से दिल्ली रेलवे लाइन तक दिल्ली की ओर सीमा तक तथा इसका उत्तरी ओर का भाग शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर कियोस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।
 - (क) सर्किल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।
 - (ख) पुराने जयपुर शहर की चार दिवारी क्षेत्र में लगे खम्बों पर।
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा भगवानदास रोड (जनपथ रोड) पांचबत्ती से विधान सभा तक जे.एल.एन. रोड इत्यादि एवं सहकार सर्किल, बाईस गोदाम पुलिया से बाईस गोदाम सर्किल तक।
04. खम्बों पर लगाये जाने वाले कियोस्क बोर्ड अधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा मजबूती के साथ सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुंचे यदि उसकी लापरवाही से किसी का नुकसान होगा तो उससे हर्जे-खर्चे के लिए लाईसेन्सी स्वयं उत्तरदायित होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
05. प्रत्येक कियोस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा किलप लगाकर खम्बे के दौनों ओर कियोस्क लगाये जा सकेंगे। कियोस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
06. खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विद्युत चलित कम्प्यूटराईज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
07. जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मार्गों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी कियोस्क लगावा सकेंगा वहा यदि सड़कों के दाये ओर बाये और खम्बे लगे भी हैं तो उन पर कियोस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी कियोस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
08. खम्बों पर कियोस्क सड़क / डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पिछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाईसेन्सी खम्बों व कियोस्क को साफ सुधारा रखेगा। तथा निगम की उपविधियों 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियों-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अश्लील व भड़कीले तथा आपति जनक विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्व सूचना के हटा दे। उसका हर्जा-खर्च लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जावेगा ना ही कोई झांडे बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंगे प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जावेगे। यदि कोई पोस्टर झांडे बैनर पतंगे आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।



9. कियोस्क लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि मे अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एंव अन्य कियोस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाइ जायेगी। इसमे निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसके दोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।
11. कियोस्क लाईसेन्सी को स्वयं के खर्चे पर लगाने होगे तथा लाईसेन्सी की सम्पति होगी एंव कियोस्क खम्बों पर एकलपता से लगाने होगें जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्च लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 100000/- अक्षर (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फर्म को कियोस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोडी) पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एंव केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एंव निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एंव केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि बैंकर चैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एंव निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एंव केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि बैंकर चैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एंव निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एंव केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि बैंकर चैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एंव अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियाँ 2004 एंव संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एंव राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एंव यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड्डन/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को स्वयं के खर्चे पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुर्णभरण) नहीं किया जायेगा एंव लाईसेन्सधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एंव किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एंव जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एंव ब्याज की राशि लाईसेन्सधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अमाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एंव राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एंव परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एंव आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)


बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त भौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्भित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्ज-खर्च पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बस शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि बैंकर चैक/डीडी जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब तक कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्ज-खर्च लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्ज-खर्च तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. लाईसेंस अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखभाल एवं रखरखाव लाईसेंसी की होगी। बस शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना

- होगा। राल्टस का स्ट्रॉक्यर दुरुस्त हालत में रग रागन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति तक लाईसेंसी को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना होने पर जमा अमानता राशि लाईसेंसी को लौटाइ जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
 11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेंसी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
 13. 15 दिन के नोटिस पर लाईसेंसी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
 14. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
 18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
 19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
 20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
 21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं व्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
 22. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाइ जायेगी।
 23. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
 24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
 25. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर (फ्लावर पोटों) (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाइ की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्रापट से रुपये 25,000/- अक्षर (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तोंनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्च पर हटवा देंगे।
11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर ढीड़ी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), का (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत

- राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), का नवीनीकरण (01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन, वित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़-पौधों सही तरीके से हरे-भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख-रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं की हर्जें पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग-रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
19. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईनेज की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षर (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम काष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के देय टैक्स की राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं विपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया

जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

10. लाईसेन्स अधिकारी में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेंस अधिकारी समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अधिकारी की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मा न्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा। शर्तों
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर


(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साईटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रूपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि भौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात प्रत्येक साईट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त भौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों का (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेकचर दुलस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेंस समाप्ति पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स
की शर्तों नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

- जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक्-पृथक् साइटों के आधार पर बोली अमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
- निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साइज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार)रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
- नीलामी के पश्चात प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता / फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों का (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साइज के लिए यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट / चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
- साइट नीलामी किये जाने के पश्चात यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अडचन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अडचन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जायेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।
- उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
- कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों / उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
- लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म / व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेन्स अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्च वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की वृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकती तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की

लाईसेन्स की शर्त नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्त :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का (01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का नवीनीकरण (01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिधारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्च लाईसेन्सधारी फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।

12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (खेल खात्र) किया जावेगा।
13. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापत्रधारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगा।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्व भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत बसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को भान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिप्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो भान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : फरवरी 2015

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी पृथक-पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्सरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त भौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जायेगी।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पटट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्च पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि सहित जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर बैंकर चैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस बैंकर चैक/डीडी द्वारा राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. निगम द्वारा लाईसेंसी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेंसी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जायेगा एवं इन्हें लाईसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जायेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेंस अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखभाल व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरस्त हालत में रंग रोगन

- किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा । निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी ।
11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा । लाईसेंस अधिकारी के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा । शौचालयों की सुविधाओं को दुरस्त हालत में रखना होगा । कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी । अमानता राशि लाईसेंस अधिकारी समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकती ।
 12. लाईसेंसधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन आयुक्त या अधिशासी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
 13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा ।
 14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा । निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखाता हुआ लगाना अनिवार्य होगा ।
 15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारें, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी । सफाई के लिए फ्लाइल, नेफ्टीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी । आयुक्त राजस्व, आयुक्त स्वास्थ्य या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा । शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेंस, लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा । शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा ।
 16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा ।
 17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
 18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा ।
 19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानात्तरित नहीं करेगा ।
 20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा ।
 21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
 22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा ।
 23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
 24. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी ।
 25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकती ।
 26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
 27. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।
 28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा ।


लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 मोतीदूंगरी जोन**

1	MDZ-02	16x8	टोंक रोड, अशोक मार्ग, स्लीप लाईन पर, एम. जी.डी. स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
2	MDZ-05	16x8	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर, फुटपाथ पर स्लीप लाईन पर, वि.प.न. 2	
3	MDZ-06	16x8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानांतर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये	
4	MDZ-10	16x8	टोंक रोड, सूचना केन्द्र के सामने, आरोग्य मार्ग के, उत्तरी कोने पर, फुटपाथ पर समानांतर	
5	MDZ-14	16x8	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, फुटपाथ पर, अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.न. 1	
6	MDZ- 18	16x8	टोंक रोड, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, रामबाग स्टाफ क्वार्टर के मेन गेट के सामने, सड़क के परिचमी ओर दीवार के सहारे समानांतर	
7	MDZ- 19	16x8	टोंक रोड, उपरोक्त साईट से थोड़ा आगे, सवाई मानसिंह विद्यालय के सामने, दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर	
8	MDZ- 25	16x8	टोंक रोड, रामबाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानांतर अजमेरी गेट की ओर से वि.प.न.3	
9	MDZ- 31	16x8	टोंक रोड,, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाउंड्रीवाल के सहारे	
10	MDZ- 32	16x8	मालवीय नगर, अपेक्ष सर्किल के उत्तरी-पश्चिमी कोने पर केलगिरी की ओर से, वि.प.न.1	
11	MDZ- 41	16x8	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 2	
12	MDZ- 42	16x8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
13	MDZ- 43	16x8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानांतर	
14	MDZ- 47	16x8	मोतीदूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के	

			सहारे, गोविन्द मार्ग की ओर से समानान्तर, वि. प.न. 1	
15	MDZ- 48	16X8	उपरोक्तानुसार समानान्तर, वि.प.न. 2	
16	MDZ- 55	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
17	MDZ- 56	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनिवर्सिटी की दीवार के समानान्तर महात्मा गांधी रोड़ की ओर फुटपाथ पर	
18	MDZ- 57	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर	
19	MDZ- 58	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी उपरोक्त के सामने, एम. एन.आई.टी. की दीवार के समानान्तर	
20	MDZ-59	16X8	जे.एल.एन. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर, मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1	
21	MDZ- 64	16X8	एम.आई.रोड़ रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
22	MDZ- 67	16X8	एम.आई.रोड़, रामलीला मैदान के पास, बने मंदिर की पूर्वी दीवार के पास, फुटपाथ पर सांगानेरी गेट देखते हुये	
23	MDZ- 68	16X8	टोंक रोड़, रिजर्व बैंक के पास, तखोशाही रोड़ के उत्तरी कोने पर।	
24	MDZ- 71	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग मालवीय नगर आर.ओ. बी से पूर्व की ओर रेल्वे दीवार के पास MNIT देखते हुए।	
25	MDZ- 72	30X15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग मालवीय नगर आर.ओ. बी से पश्चिम की ओर रेल्वे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	
26	MDZ- 73	30X15	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास गांधीनगर स्टेशन रोड़ पर, सरस पार्लर के सामने, रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	
27	MDZ- 74	30X15	हिम्मत नगर आरओबी, भास्कर के पास फुटपाथ पर जयपुर डेयरी प्लाटं के गेट के पास रेलवे दीवार के पास।	
28	MDZ- 75	30X15	बजाज नगर ऐनकलेवा स्कीम के सामने,, रेलवे क्वार्टर के बाहर, रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	
29	MDZ- 77	30X15	गांधीनगर स्टेशन रोड़, आरओबी से पश्चिम की ओर रेलवे कम्पाउण्ड की दीवार के पास, हाजरी गाह के सामने	

30	MDZ- 78	16X8	जवाहर नगर, सेक्टर 7 के पास बने, सुलभ शौचालय के बाहर, कोने पर फुटपाथ पर	
31	MDZ- 80	16X8	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, आरओबी से पहले, वनविभाग की दीवार के पास बने फुटपाथ पर, आरओबी देखते हुये	
32	MDZ- 83	30X15	जे.एल.एन. आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेन्ट डॉक्टर, हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	
33	MDZ- 84	30X15	जे.एल.एन. मार्ग, मुकबधिर स्कूल के दक्षिणी गेट के पास।	
34	MDZ- 85	30X15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास	
35	MDZ- 86	30X15	जगतपुरा आरओबी के पास, जगतपुरा रेलवे फाटक की रेलवे की दीवार के पास, मालवीय नगर देखता हुआ	
36	MDZ- 87	30X15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे फ्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये	

H -

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 विद्याधर नगर जोन**

1	VDZ-03	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर	
2	VDZ-10	16X8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये	
3	VDZ- 14	16X8	विद्याधर नगर, निर्माण विहार से 3 की दीवार के पास समानान्तर साईट सं. वीडी रोड़, 18 के पास	
4	VDZ- 15	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 2	
5	VDZ- 16	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.न. 3	
6	VDZ- 18	16X8	विद्याधर नगर निर्माण विहार, सेक्टर-3 के आगे सिने स्टार चौराहा के पास फुटपाथ पर समानान्तर वि.प.न. 2	
7	VDZ- 19	16X8	विद्याधर नगर, निर्माण विहार से. 3 की दीवार के पास फुटपाथ पर समानान्तर वि.प.न. 2	
8	VDZ- 22	16X8	विद्याधर नगर,, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानान्तर वि.प.2	
9	VDZ- 26	16X8	विद्याधर नगर,, नया खेड़ा के पास खण्डेलवाल टॉवर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल केटर्स के पास, दक्षिणी-पूर्वी कोने पर	
10	VDZ- 27	16X8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर	
11	VDZ- 37	16X8	विद्याधर नगर,, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने फ्लेट्स की दीवार के पास	
12	VDZ- 39	16X8	विद्याधर नगर,, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर	
13	VDZ- 40	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पानीपेच तिराहे से पहले नेहरू नगर जाने वाले रास्ते के सामने इन्द्रा पार्क की दीवार के समानान्तर	
14	VDZ- 41	16X8	कलेक्ट्री सर्किल पर पुराने तहसील भवन की दीवार के समानान्तर	
15	VDZ- 43	16X8	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानान्तर,शिव मार्ग की ओर	
16	VDZ- 47	16X8	झोटवाड़ा रोड़ चांदपोल शमसान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुये	

17	VDZ- 48	30X15	खातीपुरा रोड ,खातीपुरा आर.ओ. वी. के पास आर.ओ.वी. के पश्चिम की ओर वार्ड नं 9 कार्यलय के पास फुटपाथ पर।	
18	VDZ- 49	30X15	खातीपुरा रोड ,खातीपुरा आर.ओ. वी. के पास आर.ओ.वी. के पूर्वी की ओर रेल्वे दीवार के पास।	
19	VDZ- 50	30X15	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स स्कुल के आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-प्वाईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुये	
20	VDZ- 55	30X15	जयसिंह हाईवे रोड कलकेट्री सर्किल अशोक होटल की दीवार के पास	
21	VDZ- 56	30X15	पानीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, अकादमी हाउस की दीवार के पास	
22	VDZ- 57	30X15	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानांतर कावंटिया सर्किल देखते हुये	
23	VDZ- 58	30X15	चिंकारा कैंटीन के सामने साईट सं. 45 के पास चिंकारा कैंटीन की ओर सर्किल देखते हुये	
24	VDZ- 59	30X15	कलैकट्री सर्किल अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर	

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 सिविल लाईन जोन**

1	CLZ- 12	16X8	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास, सहकार भवन देखते हुये।	
2	CLZ- 20	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल पर लक्ष्मी पथ मोड़ पर चौमूं हाउस सर्किल की ओर दीवार के समानांतर वि.प.न. 1	
3	CLZ- 21	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल पर लक्ष्मी पथ मोड़ पर चौमूं हाउस सर्किल की ओर दीवार के समानांतर वि.प.न. 2	
4	CLZ- 38	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल, प्रेस की दीवार के सहारे फुटपाथ पर मालवीय मार्ग की ओर समानांतर वि.प.न. 2	
5	CLZ- 41	16X8	सरदार पटेल मार्ग, गोर्वमेन्ट प्रेस सर्किल एम. ई.एस. की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानांतर	
6	CLZ- 52	16X8	सिरसी रोड, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड देखते हुये सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प.न. 3	
7	CLZ- 60	16X8	वैशाली नगर कर्वीस रोड, आम्रपाली तिराहे पर, मिलकट्री की दीवार के सहारे।	
8	CLZ- 63	16X8	गीजागढ़ हाउस, हवा सड़क	
9	CLZ- 64	16X8	हवा सड़क, गीजागढ़ हाउस के सामने बाईस गोदाम देखते हुये	
10	CLZ- 86	16X8	अशोक मार्ग, सी स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर समानांतर वि.प.न. 1	
11	CLZ- 91	16X8	संसार चंद्र रोड, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानांतर	
12	CLZ- 94	16X8	कर्वीस रोड, झारखण्ड महादेव तिराहे, पेट्रोल पंप के सामने, मिलकट्री दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
13	CLZ- 95	30X15	परिवहन मार्ग अजमेर रोड पुलिया के नीचे रेल्वे स्टेशन की ओर दीवार के समानांतर।	
14	CLZ- 96	16X8	जमनालाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक आरोबी की ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुये वि.प.न. 1	
15	CLZ- 97	16X8	जमनालाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक आरोबी की ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुये वि.प.न. 2	

16	CLZ- 100	30X15	टोक रोड आर.ओ.वी के पास टोक फाटक जाने वाले रास्ते पर ट्रासफार्मर के पास गोयल जैलर्स के सामने।	
17	CLZ- 101	30X15	22 गोदाम आर.ओ.वी के पास आर.ओ.वी के दक्षिणी परिवहन मार्ग पर फुटपाथ पर रेल्वे की दीवार के पास।	
18	CLZ- 102	30X15	22 गोदाम आर.ओ.वी के पास आर.ओ.वी के उत्तरी ओर परिवहन मार्ग पर फुटपाथ पर रेल्वे की दीवार के पास।	



**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 मानसरोवर जोन**

1	MSZ-03	16x8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये।	
2	MSZ-08	16x8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
3	MSZ-12	16x8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
4	MSZ-13	16x8	मानसरोवर महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते हुये	
5	MSZ-25	16x8	गोपालपुरा बाईपास रोड, न्यू आतिश मार्केट के गेट के पहले पुलिया के पास फुटपाथ पर गुर्जर की थड़ी देखते हुये	
6	MSZ-46	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने नाले की पुलिया के पास फुटपाथ पर समानांतर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हुये	
7	MSZ-47	30x15	गोपालपुरा आरोबी के पास आरोबी से दक्षिणी रेलवे बाउड्रीवाल के पास बजरी मण्डी	
8	MSZ-48	30x15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के उत्तरी और रेलवे बाउड्रीवाल के पास	
9	MSZ-50	30x15	महारानी फार्म गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर	
10	MSZ-52	30x15	टोक रोड, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर	
11	MSZ-55	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आर.ओ.वी दक्षिणी पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास जवाहर सक्रिल देखता हुआ।	
12	MSZ-57	30x15	गोपालपुरा आर.ओ.वी. के पास ओ.वी के दक्षिणी ओर रेलवे दीवार के पास साईट सं MSZ-47 के उत्तरी ओर गोपालपुरा ओर देखते हुए	
13	MSZ-58	30x15	हिम्मत नगर आर.ओ.वी के पास उत्तरी पश्चिम की ओर के पी.एच.डी पंप हाउस के गेट के पास हिम्मत नगर देखते हुए।	
14	MSZ-62	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-पश्चिमी कोने पर फुटपाथ पर	
15	MSZ-63	16x8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बने नाले की पुलिया के पूर्वी-पश्चिमी कोने पर फुटपाथ पर	

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 आमेर जोन**

1	AMZ-01	16X8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2	AMZ-02	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.3	
3	AMZ-03	16X8	आमेर होटल के के.के. रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास साईट सं. एच.एम.वेस्ट 7 के बी-शैप में कुण्डा देखते हुये	
4	AMZ-04	16X8	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति विलनिक के पास पूर्व पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर	
5	AMZ-08	16X8	आमेर रोड, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये	
6	AMZ-09	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
7	AMZ-16	30X15	जलमहल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास	
8	AMZ-17	30X15	आमेर रोड, कुण्डा, ज्योति विलनिक के पास	

✓ m. 1

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 सांगानेर जोन**

1	SNZ-40	16x8	टोंक रोड़, हल्दीघाटी चौराहे से पहले पश्चिमी और टोंक रोड़ देखते हुये	
2	SNZ-42	16x8	टोंक रोड़, खातीपुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	
3	SNZ-44	16x8	टोंक रोड़, खातीपुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	
4	SNZ-53	16x8	टोंक रोड़, सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुये	
5	SNZ-54	16x8	टोंक रोड़, प्रताप नगर हल्दी घाटी मार्ग के चौराहे पर पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखते हुये	
6	SNZ-57	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
7	SNZ-58	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास	
8	SNZ-59	30x15	टोंक रोड़, सीतापुरा आरोबी के पास पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ	
9	SNZ-60	30x15	टोंक रोड़, सीतापुरा आरोबी के पास दक्षिण-पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोंक रोड़ देखता हुआ	

**नीलाम किये जाने वाली यूनिपोल साईट
फरवरी 2015 हवामहल (पूर्व) जोन**

1	HMZ(E)-7	16x8	दिल्ली रोड बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के उपरोक्त साईट के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 3	
2	HMZ(E)-16	30x15	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये	
3	HMZ(E)-18	30x15	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये	





कार्यालय नगर निगम जयपुर
**पुलियाओं/आर.ओ.बी. फ्लावर पोटों (गमलो) पर विज्ञापन एवं
संधारण की नीलामी सूची, फरवरी 2015**

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जगतपुरा ROB
2.	सीतापुरा पुलिया ROB
3.	मानसरोवर पुलिया ROB
4.	टोंक फाटक पुलिया ROB
5.	मालवीय नगर ROB
6.	भास्कर पुलिया ROB
7.	सांगानेर फ्लाईओवर
8.	दुर्गापुरा ROB
9.	गोपालपुरा बाईपास ROB
10.	टोंक रोड़ गोपालपुरा मोड़ फ्लाईओवर
11.	बाईस गोदाम पुलिया ROB
12.	अजमेर रोड़ पुलिया ROB
13.	खातीपुरा पुलिया ROB
14.	हसनपुरा पुलिया ROB



कार्यालय नगर निगम जयपुर

द्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलामी सूची, फरवरी 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन.मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयलैण्ड पर।
4.	टोंक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोंक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोंक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोंक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।



कार्यालय नगर निगम जयपुर
ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) की नीलामी सूची,
फरवरी 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	क्वीन्स रोड़, सिरसी रोड़ जंकशन, पूर्व की ओर।	
2.	कालवाड़ रोड़, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।	
3.	खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा पुलिया के पास।	
4.	गोपालपुरा बाईपास रोड़ पर आतिश मार्केट के पास।	
5.	सीकर रोड़, भवानी निकेतन गल्फ कॉलेज के बाहर	
6.	सीकर रोड़, खेतान हॉस्पिटल के सामने	
7.	सीकर रोड़, मुरलीपुरा स्कूल के सामने	
8.	सीकर रोड़, वी.के.आई. रोड़ नं. 1 सोनी हॉस्पिटल के पास	
9.	सीकर रोड़ वी.के.आई. रोड़ नम्बर 8, शर्मा ढाबा के पास	
10.	सीकर रोड़, अलका सिनेमा के पास।	

Fm. /



कायालय नगर निगम जयपुर
25 निर्मित यूनिपोल "20x10" की नीलामी सूची
फरवरी 2015

क्र. सं.	स्थान
1.	बिरला मन्दिर के पीछे
2.	जवाहर सर्किल
3.	बांगड़ अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
4.	जे.के.लोन अस्पताल के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
5.	मोतीझुंगरी सर्किल
6.	एयरपोर्ट टर्मिनल – 2
7.	सूचना केन्द्र, टोंक रोड़
8.	स्टेट हैंगर
9.	सांगानेरी गेट
10.	टी-पॉइंट, ट्रांसपोर्ट नगर
11.	सांगानेर रोड़, रिद्धि सिद्धि के पास, त्रिवेणी नगर
12.	वर्ल्ड ट्रेड के पास, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
13.	नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर
14.	200 फुट बाईपास, डी.सी.एम. अजमेर रोड़
15.	अजमेरी गेट
16.	आमेर कुण्डा
17.	जलमहल
18.	अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़
19.	चौमुँ हाउस सर्किल
20.	गवर्नेन्ट हॉस्टल
21.	पानी पेच
22.	अजमेर पलाईओवर, जलमहल सर्किल
23.	अम्बाबाड़ी, विधाधर नगर
24.	रामगढ़ मोड़
25.	बी-2 बाईपास



कायालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
बस शैल्टर्स की नीलामी सूची
फरवरी 2015

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर	
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने	
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोदार मैनेजर्मेंट इंस्टीट्यूट के सामने	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास, ट्रैफिक सिग्नल चौराहे से जेडीए सर्किल की तरफ 50 मीटर आगे।	संवेदक को अपने खर्च पर नया लगाना है।
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, बजाज नगर मोड़ के सामने	संवेदक को अपने खर्च पर नया लगाना है।
13.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पीटल के बाहर।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।	
16.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड़ के पास।	
17.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड़ के सामने।	
18.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लाल बहादुर मार्ग के सामने फोर्टिंज के पास।	
19.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आरयूआईडीपी के सामने क्लार्क होटल के पास।	
20.	क्वींस रोड, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर	
21.	क्वींस रोड, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट	
22.	अजमेर रोड व क्वींस रोड जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लाट नं. 35 के सामने मिलेकट्री की दीवार के समानान्तर	शिफ्ट कर लगाना है।
23.	अजमेर रोड व क्वींस रोड जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
24.	क्वींस रोड, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर	
25.	क्वींस रोड, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)	
26.	क्वींस रोड, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)	
27.	क्वींस रोड, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
28.	क्वींस रोड, सिरसी रोड जंक्शन पश्चिम की ओर।	
29.	क्वींस रोड, प्रिस रोड जंक्शन पूर्व की ओर।	
30.	क्वींस रोड, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)	
31.	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने	
32.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)	
33.	गोपालपुरा बाईपास रोड, 10-बी, स्कीम के पास रोड के पश्चिम की ओर पार्क के पास	संवेदक को अपने खर्च पर नया लगाना है।

स्थान का विवरण

क्र. सं.	
34.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सुभम मार्बल 10-बी, स्कौम के सामने
35.	न्यू आतिश मार्केट, प्रथम गेट के पास नाले के नुककड़ पर, फुटपाथ पर।
36.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)
37.	गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।
38.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी के दायी तरफ (केसब विहार)
39.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धी-सिद्धी सर्किल
40.	एम.आई.रोड, सांगानेरी गेट महिला विकित्सालय के बाहर एम.आई.रोड
41.	एम.आई.रोड, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर
42.	एम.आई.रोड, गोलछा स्कवायर के पास एम.आई.रोड
43.	एम.आई.रोड, गवर्मेंट हास्पिट टैक्सी स्टैण्ड एम.आई.रोड
44.	एम.आई.रोड, गणपति प्लाजा, हमरापुरा के बाहर एम.आई.रोड
45.	एम.आई.रोड, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड।
46.	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर
47.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।
48.	सहकार मार्ग, जे.पी.फाटक के पास पश्चिम की ओर
49.	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।
50.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।
51.	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।
52.	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा
53.	सहकार मार्ग, ज्योति नगर थाने के पास।
54.	सहकार मार्ग, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, पूर्व की ओर।
55.	भवानी सिंह रोड, रामबाग सर्किल दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर
56.	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. ऑफिस के बाहर
57.	भवानी सिंह रोड, नीलकंठ काम्पलैक्स के पास।
58.	भवानी सिंह रोड, कर भवन के बाहर।

स्वेदक को अपने
खर्च पर नया लगाना
है।



कार्यालय नगर निगम जयपुर

बी.ओ.टी आधार पर निर्मित शौचालयों की नीलामी सूची,
फरवरी 2015

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सर्किल
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
6.	गोपालपुरा बाईपास

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)

की सूची,

नीलामी फरवरी 2015

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	मोतीखुंगरी जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	विधाधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
3	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र

11.1